



## बोडश बिहार विधान सभा

### नवम् सत्र ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-27.02.2018 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

- श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, स०वि०स०
- श्री संजय सरावगी, स०वि०स०
- श्री नितिन नवीन, स०वि०स०
- श्री राजीव नन्दन, स०वि०स०
- श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, स०वि०स०
- श्री अवधेश सिंह, स०वि०स०
- श्री उमेश सिंह कुशवाहा, स०वि०स०
- श्री शशीभूषण हजारी, स०वि०स०
- श्रीमती गायत्री देवी, स०वि०स०
- श्री रामचन्द्र सहनी, स०वि०स०
- श्री मनोज कुमार, स०वि०स०
- श्रीमती बेबी कुमारी, स०वि०स०
- श्रीमती अरुणा देवी, स०वि०स०
- श्रीमती भासीरथी देवी, स०वि०स०
- डा० रंजु गीता, स०वि०स०
- श्री मिथिलेश तिवारी, स०वि०स०
- श्री अशोक कुमार सिंह, स०वि०स० (क्षेत्र सं०-203)
- श्री नौशाद आलम, स०वि०स०
- श्री प्रकाश राय, स०वि०स०
- श्री रणधीर कुमार सोनी, स०वि०स०
- श्री राज कुमार राय, स०वि०स०

“बिहार राज्य के अनुदानित शिक्षा माध्यमिक विद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2010-11, 11-12, 12-13 तथा उच्च मा० विद्यालय (इंटर) के सत्र 2009-11, 10-12, 11-13 में सरकारी अनुदान हेतु वर्ष 17-18 में 3,37,49,16,400/- रु० स्वीकृति कर 3,30,00,000/-रु० इन संस्थानों के कर्मियों में वितरण के लिये विमुक्त कर दिया गया है।

भुगतान की प्रक्रिया सेवा शर्त नियमावली 2017 के अनुरूप लागू कर शैक्षणिक सत्र 2012-14, 13-15, 14-16 एवं 15-17 के बकाये अनुदान राशि का भुगतान इन संस्थानों में कार्यरत कर्मियों के संधारित खातों में सीधे भेजने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

2. श्री समीर कुमार महासेठ,  
स०वि०स०

“राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक सुधार के लिये आवश्यक है कि अधिक से अधिक विषयों की पढ़ाई राज्य के मेडिकल कॉलेजों में हो और वहां से उत्तीर्ण होने वाले चिकित्सकों की सेवाएं राज्य में ली जाय। IGIMS सहित राज्य के किसी भी मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलॉजी एवं न्यूरोसर्जरी विषय में DM/MCH की पढ़ाई की अनुशंसा MCI द्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से नहीं की गयी जिसके कारण मंत्रालय द्वारा स्वीकृति नहीं दी गयी है। राज्य के अस्पतालों को आधारभूत संरचनाओं के अभाव में DM/MCH की पढ़ाई के योग्य MCI द्वारा नहीं माना जाता है जिससे राज्य विशेषज्ञ चिकित्सक की उपलब्धता से बचत है।

अतः IGIMS सहित राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध कराते हुए DM/MCH की पढ़ाई की स्वीकृति हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय से पहल किये जाने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।”

राम श्रेष्ठ राय  
सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।  
739-751, विंस०, पटना, दिनांक- 26 फरवरी, 2018 ई०।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-1/18-  
प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / शिक्षा विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राम श्रेष्ठ  
21.02.2018  
(प्रदीप कुमार राय)  
उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-1/18- 739-751, विंस०, पटना, दिनांक- 26 फरवरी, 2018 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

राम श्रेष्ठ  
21.02.2018  
(प्रदीप कुमार राय)

उप सचिव,  
बिहार विधान सभा, पटना।

प्रदीप कुमार राय  
21.02.2018